कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र).

राजा पंचम सिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर (म.प्र) 474002

डॉ. अजय कौशल
कुलसचिव

Ph- : 0751–2970519 (O)
E-mail- registrar@rvskvv.net

क्र. / कु.स. / प्रशा. / 2025–26 / 3266 दिनांक: 29/12/2025

अधिसूचना

विश्वविद्यालय प्रमंडल की 59वीं बैठक दिनांक 10.12.2025 के पद क्रमांक 09 में लिये गये निर्णयानुसार पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित प्रावधानों को बजट की उपलब्धता होने की शर्त पर लागू किये जाने का अनुमोदन किया गया।

1. **सामान्य वजीफा / General Stipend (अन्य स्त्रोतों से सहायता न लेने वाले शोधार्थी):** उन सभी पीएच.डी. शोधार्थियों को प्रथम वर्ष की अवधि के लिए रुपये 10000 / – (मात्र दस हजार रुपये) का मासिक **Stipend** प्रदान किया जाएगा जो किसी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

   विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने से पूर्व विद्यार्थी से इस आशय का शपथपत्र लिया जाएगा कि वह किसी अन्य स्त्रोत से Fellowship/Scholarship/Stipend आदि का लाभ नहीं ले रहा है।

- **शोधार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में शिक्षण सहायक (TAs) और अनुसंधान सहायक (RAs) के रूप भागीदारी करने पर निम्न अनुसार पारिश्रमिक के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी–**

2. **शिक्षण सहायक/ Teaching Assistantship (TA):** शिक्षण सहायकों के रूप में, उत्कृष्ट एवं दक्ष (potential) पीएच.डी. शोधार्थियों को संबंधित कोर्स शिक्षक के मार्गदर्शन में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) कक्षाओं के शिक्षण में शामिल किया जाएगा। उन्हें आवश्यकतानुसार अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ या कर्तव्य भी सौंपे जा सकते हैं। वे शिक्षण सहायक संबंधित विभागाध्यक्ष (HoD) के मार्गदर्शन में काम करेंगे।
3. **अनुसंधान सहायक/Research Assistants (RAs)** पीएच.डी. शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अंतर्गत चल रही अनुसंधान परियोजनाओं में सहायकों के रूप में शामिल किया जाएगा और वे प्रधान अन्वेषक (PI) के मार्गदर्शन में परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करेंगे।

- **शिक्षण सहायक और अनुसंधान सहायक के लिए पारिश्रमिक / Remuneration for TAs and RAs:** चयनित शिक्षण सहायकों और अनुसंधान सहायकों को रुपये 15000 / – मासिक (पंद्रह हजार रुपये मात्र) का पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

प्रमंडल द्वारा उक्त प्रावधानों के साथ निम्नानुसार शर्तों का भी अनुमोदन किया गया–

- **चयन समिति और कार्यकाल / Selection Committee and Tenure:** शिक्षण सहायक और अनुसंधान सहायक दोनों के लिए संभावित शोधार्थियों का चयन पीएच.डी. कार्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर से शुरू होकर दो से तीन वर्ष (2–3 वर्ष) की अवधि के लिए किया जाएगा। चयन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता निदेशक (शिक्षण) करेंगे,

क्रमशः......02

और जिसमें एक कुलपति नॉमिनी, संबंधित अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष (HoD), विभाग का एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, और उप कुलसचिव (अकादमिक), जो सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे, शामिल होंगे। समिति की अनुशंसानुसार शिक्षण सहायक और अनुसंधान सहायक के कार्य निष्पादन एवं प्रदर्शन (performance) के आधार पर एक वर्ष के बाद कार्यकाल के नवीनीकरण, जारी रखने या समाप्त करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। संबंधित विभागाध्यक्ष/परियोजना प्रभारी द्वारा शिक्षण सहायक और अनुसंधान सहायक दोनों के प्रदर्शन का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी भी चरण में उनका प्रदर्शन (performance) असंतोषजनक पाया जाता है, तो उनकी सहायकता/Assistantship को बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

- **दोहरीकरण न होने का खंड (Non-Duplication Clause)**: जो शोधार्थी RVSKVV के अलावा अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें उपलब्ध वित्तीय सहायता योजनाओं में से केवल एक का चयन करना होगा।
- **कार्य प्रमाण पत्र/ Work Certificate:** चयनित शिक्षण सहायकों और अनुसंधान सहायकों को उनके अनुरोध पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- पीएच.डी. विद्यार्थियों/शोधार्थियों के शिक्षण सहायक (TAs) और अनुसंधान सहायक (RAs) के रूप कार्य हेतु एक निश्चित कार्य अवधि (Minimum 03 Working Hour's) निर्धारित रहेगी।
- **महत्वपूर्ण:** शिक्षण/अनुसंधान सहायक के कर्तव्यों का प्रबंधन की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष (HoD)/प्रधान अन्वेषक (PI) की होगी, जिससे एक स्वस्थ संतुलन सुनिश्चित किया जा सके जो उनकी शोध प्रगति को प्राथमिकता दे और उनके डाक्टरेट शोध (या पीएच.डी. शोध) पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। शिक्षण सहायक को मुख्य रूप से Practical Classes or Fundamental Teaching का कार्य सौंपा जाएगा।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./प्रशा./2025–26/3267
दिनांकः 29/12/2025

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
2. निदेशक अनुसंधान सेवाएं, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. निदेशक विस्तार सेवाएं, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. निदेशक शिक्षण एवं उपनिदेशक छात्र कल्याण, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. लेखानियंत्रक, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
6. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सिहोर/खण्डवा/मंदसौर
7. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. उप कुलसचिव (स्था./शैक्ष.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
9. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर वि.वि. पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
10. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
11. सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव